

प्रेस-विज्ञप्तिथाना पवई383 लीटर अवैध अपमिश्रित ताड़ी व अन्य सामग्री के साथ दो गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के निर्देशन व थानाध्यक्ष के कुशल नेतृत्व में उ०नि० सुनील कुमार सरोज मय हमराह के मिल्कीपुर बाजार में मौजूद थे कि जयप्रकाश पाण्डेय आबकारी निरीक्षक प्रवर्तन 2 आजमगढ़ प्रभार अतिरिक्त चार्ज फूलपुर क्षेत्र आजमगढ़ मय हमराह कर्मचारी के मिले उपरोक्त अधिकारी कर्मचारी अवैध शराब के परिवहन के बिक्री के रोकथाम के विषय में विचार विमर्श कर रहे थे कि इसी दौरान उ०नि० सुनील कुमार सरोज को मुखबीर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति रामू यादव के मिल्कीपुर बाजार में स्थित मकान को किराये पर लेकर अवैध अपमिश्रित ताड़ी बनाकर बेचते हैं कि सूचना पर उपरोक्त टीम द्वारा मिल्कीपुर बाजार में स्थित रामू के मकान पर दबिश दी गयी कि दो व्यक्ति 1. विशाल पुत्र रामनयन 2. रामनयन पुत्र स्व० हरीलाल निवासीगण रसूलपुर वाकरगंज थाना मालीपुर जनपद अम्बेडकरनगर गिरफ्तार हुए जिनके कब्जे व निशानदेही पर दो ड्रम में कुल 383 लीटर अवैध अपमिश्रित ताड़ी, 10 किग्रा० चीनी, 05 किग्रा० यूरिया बरामद हुआ जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 87/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272/273 भादवि विरुद्ध विशाल व रामनयन उपरोक्त के पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग –

1- मु०अ०सं० 87/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272/273 भादवि थाना पवई जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1. विशाल पुत्र रामनयन निवासीगण रसूलपुर वाकरगंज थाना मालीपुर जनपद अम्बेडकरनगर
2. रामनयन पुत्र स्व० हरीलाल निवासीगण रसूलपुर वाकरगंज थाना मालीपुर जनपद अम्बेडकरनगर

बरामदगी –

1- दो ड्रम में कुल 383 लीटर अवैध अपमिश्रित ताड़ी, 10 किग्रा० चीनी, 05 किग्रा० यूरिया

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ०नि० सुनील कुमार सरोज, थाना-पवई, आजमगढ़।
2. श्री जयप्रकाश पाण्डेय आबकारी निरीक्षक प्रवर्तन 2 आजमगढ़ प्रभार अतिरिक्त चार्ज फूलपुर क्षेत्र आजमगढ़
2. हे०का० रमेश प्रसाद थाना-पवई, आजमगढ़।
3. हे०का० सुरेन्द्र यादव थाना-पवई, आजमगढ़।
4. आबकारी आरक्षी रियाजुद्दीन थाना-पवई, आजमगढ़।

थाना- मेहनगरचाकू मारकर घायल करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 11.07.2021 को राजदेव पुत्र सुमिरन सा० वार्ड न० 10 हरिवंश नगर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ ने थाने पर आकर लिखित तहरीर दी कि मेरे लड़के चन्दन चौहान को अभियुक्तगण 1. सन्दीप उर्फ सिन्दू पुत्र दीनानाथ सा० गुरेहथा 2. विककी पुत्र हरेन्द्र सा० करौती 3. आनन्द मोहन पुत्र रविन्द्र प्रताप सा० गुरेहथा थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ ने फ्राई मछली के पैसे मागने की बात को लेकर चाकू से मारकर घायल कर गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 150/21 धारा 324/504/506 भा०द०वि० बनाम 1. सन्दीप उर्फ सिन्दू पुत्र दीनानाथ सा० गुरेहथा 2. विककी पुत्र हरेन्द्र सा० करौती 3. आनन्द मोहन पुत्र रविन्द्र प्रताप सा० गुरेहथा थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना चौकी उ०नि० उदयरज सिंह के द्वारा की जा रही थी।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान वांछित /वारण्टी की गिरफ्तारी तथा सदिग्ध व्यक्तियों के चेकिंग के तहत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी लालगंज के निर्देशन में व प्रभारी निरीक्षक सुनील चन्द तिवारी के निर्देशन उ०नि० ओमप्रकाश सिंह मय हमराही का० यशवन्त कुमार के थाना हाजा से तलाश वांछित सदिग्ध वाहन सदिग्ध व्यक्ति व शान्ति व्यवस्था में जय नगर चौराहे पर मामूर थे कि इसी दौरान उ०नि० मु० आसीफ मय हमराही का० शैलेश सिंह भी आ गये और सभी लोग आपस में अपराध व अपराधियों के बारे में बातचित कर रहे थे कि मुखबिर खास ने आकर सूचना दी की साहब परसो दि० 10.07.21 को समय लगभग 07.00 बजे शाम साहिल रेस्टूरेंट पर जिन लोगो ने साहिल रेस्टूरेंट के मालिक के साथ चाकू मारकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया था उसमें से दो मुल्जिम संदीप सिंह उर्फ सिन्दू सिंह पुत्र दीनानाथ सिंह निवासी ग्राम गुरेहथा थाना मेहनगर जिला आजमगढ़ (2) आनन्द मोहन पुत्र रविन्द्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम गुरेहथा थाना मेहनगर जिला आजमगढ़ अपनी मोटर साइकिल U.P. 65 D.S 5470 बुलेट काली से लखराव पोखरा तिराहे पर आये हुये हैं मुखवीर की सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम मय मुखविर को साथ लेकर उसके बताये हुये स्थान की ओर चल दिये । जब पुलिस टीम लखराव पोखरा पुलिया पर पहुँची तब मुखविर ने दूकान की आड़ लेकर बताया कि साहब जो दो व्यक्ति बुलेट लिये हुये खड़े हैं यही वह दोनो व्यक्ति हैं जिन्होने 10.07.21 को समय 07.00 बजे शाम चन्दन चौहान को चाकू मारकर गम्भीर रूप से घायल कर दिये थे और मुखविर पीछे मुड़कर चला गया कि पुलिस टीम जैसे ही आगे बढ़ी कि पुलिस टीम को वर्दी में आता देखकर दोनो व्यक्ति बुलेट को स्टार्ट कर भागने का प्रयास करने लगे

कि पुलिस टीम द्वारा वही मौके पर समय 11.55 बजे पकड़ लिया। पकड़े गए अभियुक्तों ने अपना नाम पता 1. सन्दीप सिंह उर्फ सिन्दू सिंह पुत्र दीनानाथ सिंह सा0 गुरेहथा 2. आनन्द मोहन पुत्र रविन्द्रनाथ सिंह सा0 गुरेहथा बताया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 150/21 धारा 324/504/506 भा0द0वि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मेहनगर

गिरफ्तार अभियुक्तगण -

1. सन्दीप सिंह उर्फ सिन्दू सिंह पुत्र दीनानाथ सिंह सा0 गुरेहथा
2. आनन्द मोहन पुत्र रविन्द्रनाथ सिंह सा0 गुरेहथा

बरामदगी-

एक अदद चाकू नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 ओमप्रकाश सिंह मय हमराह

थाना मेहनाजपुर

अवैध शराब के साथ आबकारी अधिनियम में एक गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित अभियुक्तगण /चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति /वाहन के आदेश निर्देश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक थाना मेहनाजपुर के कुशल नेतृत्व में **व.उ.नि. छुन्ना सिंह मय हमराह, SI हरिद्वार मौर्या व हमराही कर्मचारीगण का0 विकास यादव , का0 विकास सरोज** मय हमराह के साथ इटैली चौराहा पर अवैध शराब के अवागमन के सम्बन्ध में बातचीत कर रहे कि आब, नि.क्षेत्र -3 लालगंज आजमगढ़ के श्री इंदजीत कुमार मय राह आ. धीरज कुमार , व आ. अखिलेश कुमार के इटैली चौराहा पर आये । सभी लोग आपस में अवैध शराब के अवागमन पर चर्चा कर रहे थे की मुखबिर खास बताया की एक व्यक्ति फक्कड बाबा मार्ग की तरफ से बरवा मोड़ की तरफ एक पिपिया में अवैध शराब लेकर आ रहा है इस सूचना पर व.उ.नि. मुखबिर मय राह व आबकारी निरीक्षक के साथ इटैली बाजार से बरवा मोड़ पर दूकान व गोमती की आड़ में फक्कड बाबा के तरफ से आने वाले व्यक्ति का इंतज़ार करने लगे कुछ समय पश्चात एक व्यक्ति फक्कड बाबा की ओर से अपने हाथ में एक पिपिया लेकर आता हुआ दिखाई दिया , आते हुए व्यक्ति की तरफ मुखबिर खास इशारा करके हटबढ़ गया आता हुआ व्यक्ति जब पुलिस टीम के और नजदीक आ गया तो आते हुए व्यक्ति को रोका टोका गया तो वह सकपका सा गया और पीछे मुड़कर भागने लगा , भागते हुए व्यक्ति को पुलिस टीम द्वारा एकबारगी घेर कर करीब 20-25 कदम जाते जाते पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी लिया गया तो पकड़े गये व्यक्ति के दाहिने हाथ एक पिपिया में 20 ली. अवैध शराब व एक पालीथीन में बोलेट न. 1 देशी शराब 200 ML की 05 अदद शीशी बरामद हुआ तथा अवैध शराब के सम्बन्ध में पूछा गया तो बताया की साहब इसे बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं बार बार अपनी गलती का माफी मांगने लगा तथा अपना नाम **देवचन राजभर पुत्र बुद्धू सा.बाजनपुर थानामेहनाजपुरआजमगढ़** उम्र लगभग 46 वर्ष बताया। पकड़े गये व्यक्ति से शराब बेचने का अधिकार पत्र मांगा गया तो दिखाने से कासिर रहा। पकड़े गये व्यक्ति का यह कार्य धारा60 Ex Act के अपराध का बोध कराकर समय करीब 18.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त :

देवचन राजभर पुत्र बुद्धू सा.बाजनपुर थाना मेहनाजपुर आजमगढ़

बरामदगी :

एक पिपिया में 20 ली. अवैध शराब व एक पालीथीन में 05 शीशी प्रत्येक (200 ML) अवैध शराब बरामद

पंजीकृत अभियोग:

मु.अ.स.68/21 धारा 60 EX ACTथाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम :

1. SSI छुन्ना सिंह थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
2. SI हरिद्वार मौर्या थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

थाना अतरौलिया

गोवध अधिनियम में एक गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित , इनामिया, गोवध, अवैध शराब बिक्री के अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर व प्रभारी निरीक्षक पंकज पाण्डेय अतरौलिया आजमगढ़ के कुशल निर्देशन में दिनांक- 12.07.2021 को SI जीतेन्द्र कुमार सिंह मय राह हे0का0 अवधेश यादव व का0 सत्य प्रकाश यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र , चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में अतरैठ क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली की मु 0अ0सं0 102/21धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना अतरौलिया आजमगढ़ से सम्बन्धित अभियुक्त सोनू शाह पुत्र आजाद शाह ग्राम प्रतापपुर छतौरा में संतोष सिंह के मुर्गी फार्म पर मौजूद है। इस सूचना पर विश्वास कर

उ०नि० मय हमराह के रवाना होकर उपरोक्त स्थान पर पहुंचे तो पुलिस टीम को देख कर अभियुक्त उपरोक्त हड़बड़ा कर भागना चाहा कि पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल का प्रयोग कर घेरघार कर पकड़ लिया गया। पकड़े गये अभियुक्त का नाम पता पूछा गया तो अपना नाम- सोनू शाह पुत्र आजाद शाह निवासी पकड़ियापुर मखनहा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष बताया। पकड़े गये अभियुक्त उपरोक्त को कारण गिरफ्तारी मु०अ०सं०102/21 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम बता कर समय करीब 04.05 बजे हिरासत पुलिस कब्जे में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 102/21 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना अतरौलिया आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

सोनू शाह पुत्र आजाद शाह निवासी पकड़ियापुर मखनहा थाना अतरौलिया जन०- आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

1. उ०नि० जितेन्द्र सिंह थाना अतरौलिया आजमगढ़
2. हे०का० अवधेश यादव थाना अतरौलिया आजमगढ़
3. का० सत्य प्रकाश यादव थाना अतरौलिया आजमगढ़

थाना-निजामाबाद

गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहा वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा गैंगस्टर में वांछित चल रहे अभियुक्तों के गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक मय हमराही के देखभाल क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबिर खास की सूचना पर बडागांव नहर पुलिया से मु०अ०सं० 95/21 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा अभियुक्त विशाल पुत्र महेन्द्र निवासी गंधुवई थाना निजामाबाद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष को समय 08.30 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

विशाल पुत्र महेन्द्र निवासी गंधुवई थाना निजामाबाद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 79/19 धारा 379/411/420/467/468/471 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़
2. मु०अ०सं० 125/19 धारा 379/411 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़
3. मु०अ०सं० 140/19 धारा 457,380,504,506 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़
4. मु०अ०सं० 141/19 धारा 379/411/420 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़
5. मु०अ०सं० 142/19 धारा 41 CRPC/411/413/420/467/468/471 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़
6. मु०अ०सं० 195/19 धारा 379 भादवि थाना मेहनगर आजमगढ़
7. मु०अ०सं० 170/19 धारा 379 भादवि थाना रानी की सराय आजमगढ़
8. मु०अ०सं० 59/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़
9. मु०अ०सं० 95/21 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट

गिरफ्तार करने वाली टीम-

प्र०नि० शिवशंकर सिंघ राहीयान थाना निजामाबाद आजमगढ़

थाना देवगांव

अपहरणकर्ता गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध एव अपराधियों के विरुद्ध विशेष रूप से चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 12.07.2021 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के द्वारा अपराध एव अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान व अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी लालगंज व प्रभारी निरीक्षक थाना देवगांव के नेतृत्व में उ०नि० रंजय कुमार सिंह मय हमराह देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन जिवली तिराहा पर कर रहे थे कि मुखबीर खास द्वारा सूचना मिली की थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 123/2021 धारा 363/366 भादवि मे नामजद अभियुक्त सर्वेश कुमार पुत्र वाकेलाल नि० सरायमारुफ थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ लालगंज भीरा तिराहे पर किसी वाहन से भागने के फिराक मे खडा है। मुखबीर खास की सूचना पर विश्वास कर के उ०नि० रंजय कुमार सिंह मय हमराह के लालगंज भीरा तिराहे से समय

करीब 05.30 बजे प्रातः गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार शुदा व्यक्ति का नाम पता पूछा तो अपना नाम सर्वेश कुमार पुत्र वाकेलाल नि0 सरायमारुफ थाना देवागंव जनपद आजमगढ़ बताया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

अभियोग पंजीकृत-

मु0अ0स0 123/2021 धारा 363/366 भादवि

गिरफ्तार शुदा व्यक्ति का नाम पता-

सर्वेश कुमार पुत्र वाकेलाल नि0 सरायमारुफ थाना देवागंव जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम -

- (1) उ0नि0 रंजय कुमार सिंह थाना देवागंव जनपद आजमगढ़
- (2) का0 अरविन्द यादव थाना देवागंव जनपद आजमगढ़
- (3) का0 कुलदीप वर्मा थाना देवागंव जनपद आजमगढ़

नोट-जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल कार्यवाही की गयी है।

38 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की